संख्या-24/2016/302/22-4-16-13जी/11टीसी

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-22 मार्च, 2016

विषय- वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष 08 कारागारों तथा 06 जनपद न्यायालयों में उपकरणों/कनेक्टिविटी उपकरणों की स्थापना कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-709/आधु-1/वी0का0/2015, दिनांक 09 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष 08 कारागारों तथा 06 जनपद न्यायालयों अर्थात कुल 14 वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों के लिए उपकरणों/कनेक्टिविटी की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-210/2015/1421/22-4-15-13जी/11टीसी, दिनांक 11.12.2015 के सापेक्ष अग्रिम भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-20/2016/116/22-4-16-13जी/11टीसी, दिनांक 06.03.2016 के प्रस्तर-2 में अंकित धनराशि रू0 2,00,00,000/-(रूपया दो करोड़ मात्र) में से निक्सी नई दिल्ली के लिए स्वीकृत धनराशि रू0 1,00,00,000/-(रूपया एक करोड़ मात्र) एवं बीएसएनएल के लिए स्वीकृत रू0 1,00,00,000/-(रूपया एक करोड़ मात्र) के स्थान पर क्रमशः "रू0 1,24,95,736/-(रूपया एक करोड़ चौबीस लाख पन्चानवे हजार सात सौ छत्तीस मात्र) निक्सी, नई दिल्ली एवं रू0 75,04,264/-(रूपया पचहत्तर लाख चार हजार दौ सौ चौसठ मात्र) बीएसएनएल के लिए स्वीकृत" पढ़ा जाय।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-122/दस-2016, दिनांक- 21 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-25/2016/302(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महाप्रबंधक, नेशनल इनफारमेटिक्स सेन्टर,सर्विसेज इंक, हाल नं0-2 एवं छठवां तल, एन0बी0सी0सी0 टावर, भीखा जी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-66
(4) मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल, भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ-226001।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in